INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 11 | DECEMBER - 2022

सतना जिले की महिलाओं में घरेलू हिंसा के प्रभावों का मूल्यांकन

मदन कुमार प्रजापति[1] , डॉ. श्रीनिवास मिश्र[2]
[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

सारांश –

निजी एवं सार्वजनिक जीवन मे लैंगिक असमानता स्पष्ट दिखाई पडती हैं। यहाँ जीवन के हर क्षेत्रों में पुरूषों का निर्णय सर्वोपरि रहता है। परम्परागत स्वरूपों एवं सस्कारों के बीच आज भी महिलाएं पर्दा प्रथा की परम्परा का निर्वाह कर रही हैं, जिसे ये मूल्यों का प्रतीक मानती हैं। लिंग आधारित भेदभाव के कारण यहां बालिकाएं बचपन से ही खान पान में समुचित पोषक तत्वों एवं सन्तुलित आहार से वंचित रहती हैं। महिलाओं में भी पारिवारिक जिम्मेदारियां निपटाकर घर के सभी सदस्य के खाना खाने के बाद बचे खाद्य पदार्थों से किसी तरह अपने पेट की आग शांत करने कि प्रवृत्ति पाई जाती है। लड़की को लड़की होने का एहसास बचपन से ही इस तरह दिलाया जाता है कि वह अपनी प्रतिभा के अनुकूल शिक्षा एवं अन्य कार्यों की हकदार नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में लड़कियो को थोड़ी बहुत शिक्षा के साथ गृहकार्य का उत्तरदायित्व संभालने का दृष्टिकोण पाया जाता है। विरासत में मिली सामाजिक परम्पराएं बालिकाओं एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर पक्षपात पूर्ण दिखाई पड़ती है। सम्पत्ति में अधिकार को यहां विवाह से जोड़कर देखा जाता है। भारतीय समाज में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि पिता की सम्पति लड़कों के लिए है। लड़की के विवाह में लगने वाला खर्च ही पिता कि सम्पत्ति का एक भाग है, अतः पिता कि सम्पत्ति से विवाहोपरान्त लड़की का उत्तराधिकार अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त माना जाता है।

मुख्य शब्द – हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक अन्याय, दहेज हिंसा, निजी एवं सार्वजनिक।

प्रस्तावना –

भारतीय समाज में बालिका को परिवार एवं संसाधन की दृष्टि से भार माना जाता है। बचपन से ही उसे निम्न स्थिति, निम्न शक्ति एवं निम्न पसन्द की भागीदार बताया जाता है, बचपन से बुढ़ापे तक वह समाज में के बाद द्वितीयक स्थान ही रखती है। हिंसा एवं घरेलू हिंसा के साये में महिलाओं का जीवन चलता रहता है जिसमें किसी न किसी रूप में हिंसा एक प्रतिविम्ब की भाँति चलती रहती है, सतना जिले में भी घरेलू हिंसा के प्रभाव घर की चारदीवारी में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अध्ययन क्षेत्र में भी भ्रूण आधारित भेदभाव एवं अल्ट्रासोनिक तकनीक का प्रभाव दिखाई पड़ता है। माँ के पेट में, जो स्वयं एक स्त्री है, एक बालिका भ्रूण अपेक्षा का सामना करना पड़ता है। महानगरीय संस्कृति की तर्ज पर यहाँ भी जन्म से पूर्व ही बालिकाओं को माँ के पेट में मारे जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यहां जन्म से पूर्व ही लड़के लड़की में भेदभाव का दृष्टिकोण पाया जाता है क्योंकि यहां लड़की की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है।' भ्रूण परीक्षण की अल्ट्रासोनिक तकनीक ने ग्रामीण अंचलों में भी ऐसी पहुँच बनाई है जो महिलाओं की मनोवृत्ति पर प्रभाव डालती है। यहां महिलाएँ इच्छित

सन्तान की प्राप्ति में पारिवारिक सन्तुलन के लिए ऐसी तकनीक का समर्थन भी करती हैं। लड़कों के प्रति सामाजिक मोह, धार्मिक मान्यताएँ, दहेज की बढ़ती प्रवृत्ति एवं असमान आर्थिक जीवन कन्या भ्रूण हिंसा में अपनी भूमिका निभाते हैं। इन्ही कारणों से अध्ययन क्षेत्र में भी बालिका जनसंख्या ह्रास दिखाई पड़ता है। घर की चारदीवारी के भीतर छोटी बच्चियों के साथ यौन हिंसा का यह घृणित स्वरूप ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी प्रकृति सभी प्रकार के अपराधों एवं हिंसा में सबसे अधिक गोपनीय होती है। परिवार में निकट संबंधियों द्वारा इस प्रकार की घटनाएं घटित की जाती है।

ग्रामीण अंचल में जहां साक्षरता का प्रतिशत कम पाया जाता है वहां महिलाएं इस प्रकार की हिंसा का अनुभव एक कटुसत्य के रूप में रखती है। महिलाओं में यह दृष्टिकोण पाया जाता है कि ऐसे प्रकरण सामने आने पर इन्हें परिवार तक ही सीमित रखा जाता है क्योंकि इसका परिणाम गांव में परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आना एवं लड़की की बदनामी होना होता है। घरेलू हिंसा के इस स्वरूप में बालिका घटना की जानकारी अधिकतम माता तक ही पहुँच पाती है और यहां भी माता आर्थिक एवं सामाजिक कारण, बच्चों के प्रति अपने दायित्वों आदि कारणों से शान्त भाव से सब सहन कर लेती है और ऐसी ही अपेक्षा अपनी पुत्री से भी करती है। समाज में दहेज एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। वर्तमान में व्यावसायिक गतिशीलता की तरह इसका स्वरूप भी व्यावसायिक होता जा रहा है।

परिवार में लड़कियों का पैदा होना दुःख और निराशा का कारण बनता जा रहा है। विवाह तय करने में यहां दहेज एक प्रमुख शर्त होती है। दहेज के लिए बहुओं को जला देना या आत्महत्या का रास्ता चुनने के लिए बाध्य करना आज एक मानसिक प्रवृत्ति बनती जा रही है। भारतीय समाज में दहेज को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। दहेज से ही दो या अधिक बहुओं के बीच प्रस्थिति का निर्धारण होता है। बहुओं को सम्मान या प्रताड़ना निर्धारित करने में दहेज की भूमिका यहाँ प्रमुख होती है। दहेज के लिए महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न भारतीय समाज में पाया जाता है। दहेज कम लाने या दहेज की माँग पूरी होने के बाद भी और दहेज प्राप्ति की अभिलाषा यहाँ महिलाओं को प्रताड़ना का शिकार बनाती है। पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा छोटी–छोटी बातों मे खोट निकलना एवं गाली–गलौच तथा मारपीट जैसी घटनाएं पाई जाती है। एक बहू को मानसिक रूप से दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने में यहां पुरूषों के साथ सास, जेठानी, ननद के रूप में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। दहेज प्रताड़ना का शिकार ये महिलाएं इस वेदना को चुपचाप सहते हुए इसे अपनी नियति मानती हैं, धीरे–धीरे इन्हें अपना जीवन ही निरर्थक लगने लगता है और महिलाए आत्महत्या जैसे मार्ग को चुनने के लिए विवश होती हैं। आर्थिक रूप से पराश्रित और शारीरिक रूप से प्रताड़ना झेलती कमजोर महिलाएं सामाजिक मान्यताओं में बधी रहती है। बच्चों का भविष्य एवं माता पिता की प्रतिष्ठा उन्हें ऐसे हिंसक व्यवहारों को बर्दाशत करने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय समाज में दहेज कैन्सर की तरह अपनी जड़ें जमा चुका है जो महिलाओं की पहचान के लिए एक प्रमुख खतरा बनता जा रहा है। भारतीय परिदृश्य में एक लड़की अपने परिवार से संस्कार लेकर जब विवाह बन्धन में बंधती है तो वह अपने मूल्य दृष्टिकोण एवं विचार लेकर आती है। विवाह के बाद लडकी पूर्णतः पति एवं ससुराल वालों के अधीन मानी जाती है।

एक नवब्याहता जब ससुराल आती है तो पति के द्वारा प्यार एवं सुरक्षा का आभास रहता है लेकिन कुछ समय बाद पति के द्वारा मारपीट से उसके यह विश्वास और आशाएँ टुकडे–टुकडे हो जाते हैं। परिवार में पत्नी से होने वाली मारपीट में पड़ोस एवं परिवार के सदस्य पति–पत्नी का आन्तरिक मामला मानकर अपनी आंखे एवं कान बन्द किए रहते हैं। भारतीय समाज में पत्नी की पिटाई को पुरूष के साहस का प्रतीक माना जाता है। पत्नी की इस पिटाई में बच्चो की उपस्थिति भी कोई भूमिका नही निभा पाती। भारतीय समाज में पत्नियों की पिटाई को सदियों से चले आ रहे सामाजिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है। रूढ़ियों से बंधी पिटाई का शिकार महिलाओं में भी पति को परमेश्वर मानने की भावना यहां पाई जाती है।

विश्लेषण –

महिलाओं के प्रति हिंसा कोई आज के युग की ही घटना नहीं है अपितु इसके उदाहरण प्राचीन भारत में भी मिलते हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दाँव पर लगा दिया तो दुर्योधन ने भरी सभा मे उसका चीरहरण कर अपमानित किया। घरेलू हिंसा में प्राचीन काल से ही विधवा को सती होने के लिए बाध्य

करना, अधिकारों से वंचित करना एवं अनेक प्रकार के कष्ट देने के प्रमाण मिलते है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले दशको में महिला संगठनो, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं राजनैतिक दलों ने नारी चेतना पैदा करने एवं उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन् 1971 में भारत सरकार ने स्त्रियों की प्रस्थिति के बारे में एक समिति गठित की जिसमें स्त्रियों की उन्नति के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव सामने आये। महिलाओं की दशा सुधारने एक अलग मंत्रालय तथा राज्यों में महिला विकास निगम तथा महिला आयोगों की स्थापना हुई। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति बनाई गई जिसका लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास तथा शक्ति सम्पन्नता, महिलाओं को आर्थिक शक्ति सम्पन्नता, महिलाओं की सामाजिक शक्ति सम्पन्नता में शिक्षा स्वास्थ्य एवं पोषाहार के सम्बंध में नीतियां बनाई गई। संवैधानिक प्रावधान में महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से समान अवसर प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं की गई। महिला आरक्षण विधेयक तथा महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, सती निषेध अधिनियम 1987, प्रसवपूर्ण निदान तकनीक अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू किये गये। महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बागान श्रम अधिनियम 1951, समान मजदूरी अधिनयम 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कारखाना अधिनियम 1948, जैसे अनेक अधिनियम तथा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विकास योजनाएं, समेकित बाल विकास सेवायोजना, डवाकरा योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, बालिका समृद्धि योजना, स्वास्थ्य सखी योजना, जननी सुरक्षा योजना तथा उज्ज्वला योजना जैसे अनेक कार्यक्रम लागू किये गये हैं। महिलाओ के साथ घरेलू हिंसा विश्व के प्रत्येक देश में एक सामान्य घटना है जो भारत के ग्रामीण एवं नगरीय समाज में पाई जाती है। घरेलू हिंसा रोकने, बनाए गए नियम यहां किताबों में ही दर्ज हैं। महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, आर्थिक निर्भरता आदि अनेक कारण इस प्रकार की हिंसा को पुलिस थाने तक पहुंचने नही देतें हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में सतना जिले की महिलाओं में घरेलू हिंसा का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया। प्राप्त निष्कर्षों को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

सारणी क्रमांक 1
घरेलू हिंसा का मानसिक दशा पर प्रभाव

क्र.	मानसिक दशा पर प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
1.	हीनता की भावना	30	10.00
2.	चिड़चिड़ापन	155	52.00
3.	पुरूषों के प्रति घृणा	45	15.00
4.	मानसिक तनाव	70	23.00
	योग	300	100

स्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनरत 10.00 प्रतिशत महिलाएँ घरेलू हिंसा के कारण हीनता का शिकार हो जाती हैं, 52.00 प्रतिशत महिलाओं में चिड़चिड़ापन आ जाता है, 15.00 प्रतिशत महिलाएँ पुरुषों से घृणा करने लगती हैं तथा 23.00 प्रतिशत महिलाओं को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा के कारण अधिकांश महिलाएँ चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती हैं।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः भारतीय समाज में विवाह के बाद स्त्री को सुहागिन माना जाता है, लेकिन विधवा स्त्री को एक श्राप की तरह माना जाता है। एक विधवा को यहां सामाजिक एवं आर्थिक पाबंदियों से लाद दिया जाता है। विधवा होने के बाद स्त्री जीवन को ही निरर्थक माना जाता है। भारतीय समाज में एक विधवा सास–ससुर व परिवार के अन्य सदस्यों के अधीन रहते हुए आजीवन अत्याचार सहती है। परम्परागत समाज में विधवा महिलाओं की दशा अत्यन्त निम्न मानी जाती है। निम्न आर्थिक स्थिति वाली विधवा को यहाँ एक बेगार नौकर

की भांति ही जीवन बिताना होता है। परिवार में उपेक्षा का शिकार ऐसी महिलाओं के जीवन में जब आशा की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती तो उनके सामने एक मात्र विकल्प भगवान की आराधना में लीन होने का ही बचता है। मानवीय दृष्टिकोण से जहां ऐसी महिलाओं को आदर, संरक्षण एवं सहयोग की आवश्यकता होती है, वहीं समाज में इन्हें गालियों एवं उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। यदि एक विधवा सन्तान विहीन है तो उसे सम्पति को बेचने का अधिकार नहीं होता। जबकि सन्तान वाली विधवाओं को सम्पत्ति में स्वामित्व उसके बच्चो के वयस्क होने के बाद ही मिल जाता है। सम्पत्ति में हिस्सा देने से बचने के लिए विधवाओं को तरह–तरह से प्रताड़ित किया जाता है।

संदर्भ –

1. सी.एन. अग्रवाल – भारतीय नारी के स्वभाव के आयाम, इण्डियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, संस्करण 2000
2. एम.ए. अंसारी – राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, संस्करण 2000
3. कमलेश गुप्ता – महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर, संस्करण 2005
4. सुधारानी श्रीवास्तव – भारत में मानवाधिकार की अवधारणा, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, संस्करण 2003
5. वीना गर्ग – भारतीय महिलाएँ : एक विश्लेषण, आर्या पब्लिकेशन, दिल्ली, संस्करण 2011